

डिक्री मुकदमा
(आ 20 रुल 6-7 जाब्दा दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक
अदालत कॅम्प मण्डावरा

उनवान

प्रभूलाल पुत्र माधोलाल जाति धाकड निवारी मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा

- वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद, तहसील दीगोद जिला कोटा

- प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88-89-188 आरटीएक्ट


मिसल नम्बर- 56/15

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस.
बहाजिरी मिनजानिव मुददई रुवरु मिनजानिव मुददालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म
दिया जाता है कि "वाद वादी खारिज किया जाता है।" तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 12.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत्त0	0	0	मुत्त0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।


(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद